निरीक्षण प्रतिवेदन

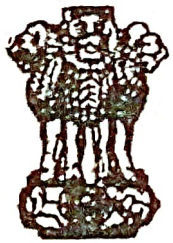

कार्यालय का नामः- प्रखण्ड कार्यालय, गोविन्दपुर

निरीक्षण की तिथिः-10-08-2000

दिनांक 10.08.2000 को डा० वी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, गोविन्दपुर का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

[1] परिचय :

प्रखण्ड कार्यालय, गोविन्दपुर की स्थापना वर्ष 1956 में हुई है लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई अधिसूचना या आधार प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है। यह प्रखण्ड जिला मुख्यालय से 12 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। इस दूरी का आकलन रेलवे स्टेशन, धनबाद से की गई है। प्रखण्ड कार्यालय जहाँ बागसुमा पंचायत के रतनपुरा मौजा में अवस्थित है। परन्तु गोविन्दपुर पंचायत यहाँ से 2 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। इसलिए यह गोविन्दपुर के नाम से प्रचलित है। इस प्रखण्ड से सम्बन्धित अन्य सभी कार्यालय गोविन्दपुर पंचायत के अन्तर्गत गोविन्दपुर मौजा में अवस्थित है। यह प्रखण्ड कार्यालय मुख्य मार्ग जी०टी०रोड पर अवस्थित है। इस प्रखण्ड से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ निम्नवत है :-

[क] कुल जन संख्या	:	157747
पुरुष	:	81769
स्त्री	:	75978
अनु० जाति	:	17026
अनु०जनजाति	:	24474
साक्षर	:	46330
निरक्षर	:	111417

[ख] विद्यालय/महाविद्यालयों की संख्या :-

प्रा० विद्यालय	:	116
मध्य विद्यालय	:	29
वैदिक स्कूल	:	2
उच्च विद्यालय	:	6
महाविद्यालय	:	1
महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	:	1

लगातार-2

(ग) ब्लाक का क्षेत्रफल : 334 वर्ग किलो मीटर

ग्रामों का कुल क्षेत्रफल : 77888.74 एकड़

वनों का क्षेत्रफल : 2348.78 एकड़

(घ) ब्लाक में भूमि की स्थिति :-

उत्तर और गैर कृषि योग्य भूमि	:	8658.92 एकड़
गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि	:	13816.92 एकड़
कृषि योग्य बंजर भूमि	:	5565.13 एकड़
स्थायी चारागाह भूमि	:	310.58 एकड़
अन्य बरती भूमि	:	9029.31 एकड़
चालू बरती भूमि	:	9575.42 एकड़

(ङ) कुल ग्रामों की संख्या : 225

चिरागी : 214

बेचिरागी : 11

(छ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सं0 : 1

(च) प्रा0स्वा0उपकेन्द्रों की संख्या : 18

(झ) परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या : 3

(ट) अन्य चिकित्सा केन्द्रों की संख्या : 2

(ठ) कुल बैंको की संख्या : 10

(ड) बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या : 23803

(1) अनु0 जाति : 2995

(2) अनु0जनजाति : 3970

(3) अन्य : 16632

(4) हैन्डीकैप्ड : 206

लगातार-3

12। पूर्व निरीक्षण :

इस प्रक्षण्ड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1.	श्री तुषार कुमार, भा0प्रशे0, उपायुक्त, धनबाद	13.09.1994	26.09.1994	01.12.94
2.	श्री के0 बी0 रमैया, भा0प्रशे0, उप विकास आयुक्त, धनबाद	17.03.1992	25.03.1992	26.06.92
3.	श्री एस0 बी0 पाठक, जिला विकास पदा0, धनबाद ।	05.07.1997	19.07.1997	18.09.97
4.	श्री एस0 बी0 दास, अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद	16.01.1991	31.01.1991	12.02.91
5.	श्री कीर्तिनाथ ठाकुर, कार्यालय अधीक्षक, धनबाद ।	15.12.1993	10.02.1994	26.04.94
6.	श्री शिशिर कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदा0, गोविन्दपुर	03.07.2000	05.07.2000	03.08.2000

प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रखी संचिका संधारित है । किन्तु उपलब्ध कराये गये रखी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश निरीक्षी पदाधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में उल्लेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन में नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख भविष्य में सुनिश्चित करेंगे जिससे यह पता चल सके कि कब-कब तथा किन-किन पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि पदाधिकारियों द्वारा कार्यों के सुधार हेतु जो निदेश दिये जाते हैं, उसका ततसमय अनुपालन किया जाय जिससे कार्यालय सुदृढ़ होकर प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पूछा गया कि क्या इन निरीक्षण टिप्पणियों का अवलोकन उनके द्वारा किया गया है, उनके द्वारा सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सका । निरीक्षण टिप्पणी में कार्यालय के सम्बन्ध में इतिहास, क्षेत्रों का ब्यौरा एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ का उल्लेख रहता है जिससे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को क्षेत्र में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी को पढ़कर उनके द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

लगातार-4

रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है क्योंकि रक्षी संचिका को चूहे द्वारा जहां-तहां कुतर दिया गया है। इन रक्षी संचिकाओं को नये सिरे से बाईंडिंग कराके रखा जाय। रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमण किया जाय जिससे यह पता चल सके निरीक्षण टिप्पणी किस पृष्ठ पर है तथा उसका अनुपालन किस पृष्ठ पर है। रक्षी संचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लगभग सभी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन किया गया है।

13। प्रभार :

श्री शिशिर कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर दिनांक 23.7.98 से इस प्रखण्ड के प्रभार में है। इनके पूर्व श्री राम शंकर राय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे।

14। स्थापना :

इस प्रखण्ड में पदाधिकारी/कर्मचारी/अन्य के स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रं	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	01	01	शून्य
2.	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी	01	01	शून्य
3.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी।सा०।	01	01	शून्य
4.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी।कृषि।	01	01	शून्य
5.	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	01	01	शून्य
6.	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	01	01	शून्य
7.	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	01	01	शून्य
8.	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	01	01	शून्य
9.	पंचायत सेवक।सुरक्षित सहित।	22	15	07
10.	जनसेवक।सा०।	09	02	07
11.	जनसेवक।कृषि।	09	04	05

लगातार-5

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
12.	प्रधान सहायक	01	01	शून्य
13.	सहायक	01	01	शून्य
14.	अनुसेवक, जंजीर वाहक	05	02	03
15.	अनियोजन संकेतक भत्ता सहायक	01	01	शून्य
16.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायक	01	02	--
17.	ग्राम सेविका	01	--	01
18.	चालक	01	01	शून्य
19.	उर्दू अनुवादक	01	01	शून्य
20.	सहायक उर्दू अनुवादक	01	01	शून्य
21.	उर्दू टंकक	01	--	01
22.	कनीय अभियन्ता	02	03	--

इस प्रखण्ड में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों/अन्य का नाम, पदनाम तथा योगदान की तिथि निम्नप्रकार है :-

क्र0	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
1.	श्री शिशिर कुमार सिन्हा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	23.07.1998
2.	डा0 अवनिन्द्र कुमार	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी	21.10.1998
3.	श्री परमानन्द सिंह	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	02.11.1994
4.	श्री मिथिला शरण	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	22.09.1989
5.	श्री राम विनय सिंह	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	20.11.1995
6.	श्री राजेश्वर सिंह	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	13.04.2000

लगातार-6

क्र०	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
7.	श्री कृष्ण राम	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	01.06.1999
8.	श्री उमेश झा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदा०	05.05.1992
9.	श्री अम्बिका महथा	प्रधान सहायक	24.08.1998
10.	श्री ओम प्रकाश सिन्हा	सहायक	26.07.2000
11.	श्री प्रकाश चन्द्र	सहायक	22.06.1999
12.	श्री सुनील कुमार	नाजिर	26.08.1998
13.	श्री अब्दुल जब्बार	लेखा लिपिक,सामाजिक सुरक्षा	18.07.1998
14.	श्री प्रेम शंकर सिंह	लेखा लिपिक,सामाजिक सुरक्षा	21.07.2000
15.	श्री मो० मूल खान	उर्दू अनुवादक	20.04.1983
16.	श्री शेख आलम	सहायक उर्दू अनुवादक	19.12.1986
17.	श्री दिनेश शर्मा	अनुसेवक	02.12.1978
18.	श्री अब्दुल अंसारी	अनुसेवक	01.02.1983
19.	श्रीमती प्रतिमा देवी	झाड़ूदारिन	28.12.1981
20.	श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह	जनसेवक	27.01.1990
21.	श्री समीउल्लाह अंसारी	जनसेवक	27.07.1997
22.	श्री राजकुमार तिवारी	जनसेवक	21.07.1997
23.	श्री लिटंगु उरांव	जनसेवक	02.07.1996
24.	श्री गौरी शंकर प्रसाद	जनसेवक	01.07.1996
25.	श्री रामजी राम	जनसेवक	16.07.1999
26.	श्री भीखू कुम्हार	पंचायत सेवक	01.07.1997

लगातार-7

क्र०	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
27.	श्री फागू महतो	पंचायत सेवक	24.10.1994
28.	श्री चन्दन राम टुडू	पंचायत सेवक	21.07.1997
29.	श्री गणेश प्रसाद दुसाध	पंचायत सेवक	01.08.1996
30.	श्री कैलाश रविदास	पंचायत सेवक	01.08.1997
31.	श्री गोवर्धन मांझी	पंचायत सेवक	21.07.1997
32.	श्री विनोद बिहारी तिवारी	पंचायत सेवक	28.07.1997
33.	श्री कौर अंसारी	पंचायत सेवक	17.06.1993
34.	श्री बच्चन रजक	पंचायत सेवक	28.07.1997
35.	श्री रास बिहार महतो	पंचायत सेवक	16.11.1998
36.	श्री राम कुमार गोस्वामी	पंचायत सेवक	17.06.1993
37.	श्री तुलसी चन्द्र कुम्हार	पंचायत सेवक	17.06.1993
38.	श्री विश्वनाथ चन्द्रा	पंचायत सेवक	17.06.1993
39.	श्री तुलसी चन्द्र लायक	पंचायत सेवक	17.06.1993
40.	श्री मोती लाल प्रसाद	पंचायत सेवक	28.07.1997
41.	श्री हनुमानी यादव	कनीय अभियन्ता	27.04.1999
42.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	कनीय अभियन्ता	12.06.2000
43.	श्री रंगलाल राम	कनीय अभियन्ता	12.06.2000
44.	श्री शिबू दास	चालक	07.10.1966

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि पंचायत सेवक, वनसेवक एवं अनुसेवक के स्वीकृत बल के विरुद्ध पंचायत सेवक के 7 पद वनसेवक के 12 पद एवं अनुसेवक के तीन पद रिक्त हैं। अनुसेवक के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु कार्यालय अधीक्षक श्री तरुण कुमार सिन्हा समाहरणालय स्तर से

अनुसेवकों का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि एक अनुसेवक जिला भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थापित है, परन्तु उनके वेतन का भुगतान इस कार्यालय से किया जा रहा है । स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद सभी अनुसेवकों, समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय में पदस्थापित हैं, के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । जहाँतक पंचायत सेवक एवं जन सेवक के रिक्त पदों को भरने की बात है, इस सम्बन्ध में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाय । अधिकांश पंचायत सेवक एवं जन सेवक इस प्रखण्ड में एक लम्बे अर्से से पदस्थापित हैं, जिन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है । जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद ऐसे मामलों को अलग से स्थापना समिति में रखने का अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

15। स्टाक पंजी :

प्रखण्ड में स्टाक पंजी उपलब्ध है, परन्तु यह सही ढंग से संधारित नहीं है । इस पंजी के पन्ने फटेहाली अवस्था में पाये गये जिसे नये सिरे से संधारित करने की आवश्यकता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसे एक अच्छी पंजी में संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे ।

16। सेवा पुस्तिका :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस कार्यालय के पत्रांक 1123 दिनांक 27.7.2000 के द्वारा सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका सिकिल लिस्ट बनाने हेतु जिला स्थापना शाखा को भेजा गया है । सेवा पुस्तिका का कार्य समाप्त होते ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने सहायक के माध्यम से उसे प्राप्त करवाना सुनिश्चित करेंगे । दिनांक 31.3.2000 तक सभी कर्मचारियों की सेवा सत्यापन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अंकित किया गया है या नहीं; इस सम्बन्ध में स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद सभी सेवा पुस्तिका की जाँच कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रखण्ड में सेवा पुस्तिका पंजी उपलब्ध है, परन्तु विधिवत रूप से संधारित नहीं पाया गया । जिन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका जिला स्थापना शाखा को भेजा गया है, उसका उल्लेख भी पंजी में अंकित नहीं किया गया है । नियमानुसार सेवा पुस्तिका पंजी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अद्यतन करना है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे । निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित सरकारी सेवकों का सेवा पुस्तिका उपलब्ध पाया गया :-

(क) श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
(ख) श्री राम विनय सिंह, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक
(ग) श्री उमेश झा, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
(घ) डा० अवनिन्द्र कुमार, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी
(च) श्री मिथिला शरण, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
(छ) श्री मो० फूल हसन, उर्दू अनुवादक

लगातार-2

।ज। श्री शोऐब आलम, सहायक उर्दू अनुवादक

।झ। श्री हुसानी यादव, कनीय अभियन्ता

।ट। श्री सुशील कुमार, कनीय अभियन्ता

श्री सुशील कुमार, कनीय अभियन्ता का स्थानान्तरण झरिया प्रखण्ड पूर्व में हो चुका है । परन्तु उनकी सेवा पुस्तिका गोविन्दपुर प्रखण्ड में ही रखा गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है । जब कर्मचारियों की स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाता है तो उनकी सेवा पुस्तिका भी स्थानान्तरित स्थान पर भेजना चाहिए एवं जो कर्मचारी इस प्रखण्ड में स्थानान्तरित होकर आते हैं, उनकी सेवा पुस्तिका पूर्व पदस्थापित कार्यालय से मंगा लेना चाहिए । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे ।

।7। सामान्य भविष्य निधि पास बुक :

सरकारी सेवकों सामान्य भविष्य निधि में कटौती की गई राशि का कम्प्यूटर के माध्यम से अद्यतन करने की कार्रवाई जिला भविष्य निधि कार्यालय में की जा रही है । प्रखण्ड में पदस्थापित सभी कर्मचारियों की अद्यतन कटौती विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजें एवं अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त करें । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने इस क्रम में बताया कि अन्यत्र कार्यालय से स्थानान्तरित होकर 5 कर्मचारी इस प्रखण्ड में योगदान दिया है परन्तु उनका सामान्य भविष्य निधि पास बुक सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालय से उन कर्मचारियों का पास बुक प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

इस प्रखण्ड में कुल 15 पंचायत सेवक पदस्थापित हैं परन्तु कुल 10 पंचायत सेवक का पास बुक उपलब्ध है । निम्नांकित पंचायत सेवकों का पास बुक इस प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है :-

।क। श्री भीखू कुम्हार

।ख। श्री चन्दन राम टुडू

।ग। श्री गणेश प्रसाद दुसाध

।घ। श्री कैलाश रविदास

।ङ। श्री विनोद बिहारी तिवारी

उपरोक्त क्रमांक-ग का 96 से एवं शेष का 97 से पास बुक पूर्व पदस्थापित कार्यालय से इस प्रखण्ड को प्राप्त नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में

अधोहस्ताक्षरी को सूचित नहीं किया जाना बहुत ही गम्भीर का विषय है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी पंचायत सेवक का सामान्य भविष्य निधि पास बुक उनके पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त करने की त्वरित कार्रवाई करें तथा कटौती विवरणी तैयार कर जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

प्रखण्ड कार्यालय में पदस्थापित सभी जन्सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पास बुक उपलब्ध है। सभी पास बुक अद्यतन पाया गया। प्रखण्ड में पदस्थापित श्री परमानन्द सिंह, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का सामान्य भविष्य निधि पास बुक वर्ष,99 तक अद्यतन है। इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदा० ने बताया कि श्री परमानन्द सिंह विगत 6 माह से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, इसी कारणवश इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रखण्ड विकास पदा० को निदेश दिया जाता है कि इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

18। वेतनवृद्धि पंजी :

प्रखण्ड में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में एक पंजी विधिवत संधारित है जिसमें कर्मचारियों को माहवार दिये जाने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि अंकित की गई है।

19। सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी सूचना :

मृत/सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में एक पंजी संधारित है। इस प्रखण्ड में श्री मधुसूदन मंडल, पंचायत सेवक की मृत्यु दिनांक 21.6.2000 को हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। जानकारी के क्रम में यह बात स्पष्ट हुआ कि अभीतक सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं हुआ है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्व० मंडल के सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान उनके परिवारों को एक सप्ताह के अन्दर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे तथा इनके अन्य दावों के सम्बन्ध में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

इस क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि श्री शंकर प्रसाद मिश्रा, सेवा निवृत्त प्रधान सहायक का पेंशन निर्धारण का मामला महालेखाकार, बिहार के पत्रांक-344 दिनांक 3.7.2000 के द्वारा आपत्ति के निराकरण हेतु प्राप्त हुआ है जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 1185 दिनांक 3.8.2000 के द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी को निराकरण हेतु भेजा गया है। जिला लेखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि निराकरण करके या अपने मन्तव्य अंकित कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसे दो दिनों के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इसे

लगातार-11

महालेखाकार, बिहार, पटना को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा सके ।

।ड। प्रतिभूति बंधपत्र :

नियमानुसार प्रखण्ड नाजिर को 500.00।पाँच सौ। रुपये एवं प्रधान सहायक-सह-लेखापाल को 250.00 रु० जमानती पासबुक में जमा किया जाना है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । वस्तुतः इस प्रखण्ड में यह कार्रवाई नहीं की गई है । यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

।ढ। पत्राचार :

पत्राचार पर नियंत्रण रखने हेतु इस प्रखण्ड में निम्नांकित पंजी संधारित की गई है :-

।क। अनुक्रमणी पंजी ।

।ख। प्राप्त पत्रों की पंजी-।।। साधारण एवं ।।।। मुख्य ।

।ग। निर्गत पत्रों की पंजी-।।। साधारण एवं ।।।। मुख्य ।

।घ। प्राप्त पत्रों की लम्बित पंजी ।

।च। निर्गत पत्रों की लम्बित पंजी ।

।छ। सहायकों की कर्मपुस्तिका ।

।क। अनुक्रमणी पंजी :-

प्रखण्ड में अनुक्रमणी पंजी विधिवत संधारित है । प्रधान सहायक से यह पूछा गया कि कुल कितने विषयों की संचिका खोली गई है, इसका जवाब देने में वे असमर्थ रहें । अनुक्रमणी पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कुल 29 विषयों पर संचिका खोली गई है ।

।ख। प्राप्त पत्रों की पंजी :-

प्राप्त पत्रों की पंजी अच्छे ढंग से संधारित है । इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित सहायक द्वारा मेहनत के साथ संधारित कर रहे हैं । इसी तरह का कार्य भविष्य में करते रहेंगे । प्राप्त पत्रों के पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी स्तम्भों सही ढंग से भरा गया है, लेकिन जिन

पत्रों का अनुवादन हुआ है उसे लाल स्याही से नहीं भरा गया है । उसे लाल स्याही से भरना सुनिश्चित किया जाय । इससे लम्बित पत्रों की सूची बनाने में अपेक्षित झटट मिलती है । प्राप्त पत्रों की मुख्य बंजी वर्ष-91 से विधिवत रूप से संधारित है ।

(ग) निर्गत पत्रों की बंजी :-

निर्गत पत्रों की बंजी इस प्रखण्ड में विधिवत रूप से संधारित है ।

विगत तीन वर्षों का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति इस प्रखण्ड में निम्नवत रूप में पाई गई :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या (मुख्य पंजिका)	निर्गत पत्रों की संख्या (मुख्य पंजिका)
1998	528	1998
1999	768	1372
2000 (9.8.2000)	848	1283

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1998 एवं 1999 में निर्गत पत्रों की संख्या में बहुत कमी है । परन्तु वर्ष 2000 में दिनांक 9.8.2000 तक 1283 पत्र निर्गत हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यों में प्रगति है और कार्य हुआ है । प्राप्त पत्रों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है ।

(घ) प्राप्त पत्रों की लम्बित बंजी एवं (ङ) निर्गत पत्रों की लम्बित बंजी :-

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की लम्बित बंजी विधिवत संधारित है । वर्ष 2000 में मात्र 3 पत्र ही निरीक्षण के दिन तक लम्बित पाये गये । उनका शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय ।

(च) कर्मचारियों की कर्म पुस्तिका :

प्रखण्ड के सभी कर्मचारियों की कर्म पुस्तिका विधिवत संधारित है । कर्म पुस्तिका में तारे स्तम्भ भरे हुए पाये गये, जो बहुत अच्छा कार्य है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस कार्यशैली को भविष्य में बरकरार रखेंगे ।

लगातार-13

1121 प्रधान तहायक नोट बुक :

प्रधान तहायक नोट बुक विधिवत संधारित नहीं है । मात्र दो पन्ने लिखा हुआ पाया गया । प्रधान तहायक नोट बुक का अर्थ यह है कि जो मार्गदर्शन पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है, उसे पंजी में अंकित करना चाहिए । कार्यों के त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बात हो, उसे भी अंकित करना चाहिए तथा उसका अनुपालन करना चाहिए । इससे कार्यों में गुणात्मक सुधार होता है । ऐसा प्रतीत होता है प्रधान तहायक द्वारा अपने नोट बुक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत पत्रों को नकल करते हुए अंकित किया गया है । यह पारिपाटी गलत है । प्रधान तहायक इसका अनुपालन समय-समय पर करना सुनिश्चित करेंगे ।

1131 कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा :

कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा सम्बन्धी तालिका देखने से पता चलता है कि कुल 37 विषयों पर कार्यों का बंटवारा किया गया है । परन्तु अनुक्रमणी पंजी में मात्र 29 विषयों पर ही सूचिका खोला गया है । इस तरह की विसंगति किस परिस्थिति में पैदा हुई है ? प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस विसंगति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे । इस क्रम में निदेश दिया जाता है कि वे गहन रूप से छानबीन कर यह पता करें कि किन विषयों पर सूचिका नहीं खोली गई है, जिससे यह पता चल सके कि उनके पास कितनी सूचिका है। इससे सूचिका के अनुरक्षण में अपेक्षित मदद मिल सकती है ।

1141 रद्दी सूचिका :

रद्दी सूचिका का अर्थ यह होता है कि सरकार स्तर से उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सम्बन्धी पत्रों को रद्दी सूचिका में सुरक्षित रूप में रखना । इस क्रम में प्रखण्ड में कितने रद्दी सूचिका संधारित है, उसका सही आकलन नहीं किया गया है । निरीक्षण के क्रम में एक रद्दी सूचिका में अराजपत्रित कर्मचारियों का यात्रा भत्ता विषय, जो वर्ष 94-95 का है, संधारित किया गया है । यह खेदजनक स्थिति है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अच्छे ढंग से संधारित करने की आवश्यकता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी रद्दी सूचिकाओं को वर्षवार, विषयवार वर्गीकरण कर उसका एक अनुक्रमिका पंजी संधारित करेंगे ताकि यह पता चल सके कि सम्बन्धित रद्दी सूचिका विषयवार है । इन सभी का अनुपालन कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । जो सहायक जिस विषय का कार्य कर रहे हैं या करते हैं, उससे सम्बन्धित विषयों की रद्दी सूचिका उसी के पास रहना चाहिए ताकि सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें । प्रत्येक रद्दी सूचिका के प्रथम पृष्ठ पर रखे गये पत्रों का

लगातार-14

सूचना रहना चाहिए। उदाहरण स्वरूप किस विषय का पत्र है, पत्र संख्या क्या है, कब प्राप्त हुआ है तथा कितने पृष्ठों का पत्र है, इत्यादि। इन सभी बिन्दुओं को अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

।15। प्रतिवेदन एवं विवरणी :

प्रतिवेदन एवं विवरणी के लिए एक पंजी संधारित है जिसमें भेजे गये प्रतिवेदनों का पत्र संख्या एवं तिथि अंकित किया गया है। विलम्ब से भेजे गये प्रतिवेदनों को लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में एक चार्ट प्रदर्शित है, परन्तु उसे विधिवत एक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं नहीं किया गया है अपितु एक छोटे से आकार में एक कार्ड बोर्ड पर लटकाया गया है। इसे एक अच्छे बोर्ड पर साफ-साफ अक्षरों में प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय तथा समय-समय पर भेजे गये विवरणी के सम्बन्ध में सूचनाएं अंकित की जाय।

।16। सुनिश्चित रोजगार योजना :

इस प्रखण्ड में 31.3.2000 तक कुल लम्बित योजना की संख्या 8 थी जिसमें से 3 योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हैं। एक योजना में ढलाई का कार्य पूर्ण हो गया है, एक योजना में 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, एक योजना में मात्र फ्लैंक में मिट्टी भराई का कार्य बाकी है। शेष दो योजनाओं में से एक योजना में डी0पी0सी0 से उपर कार्य चल रहा है तथा एक योजना में प्लास्टर का कार्य चल रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस प्रखण्ड को 5,94,300.00 का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पूर्ण योजनाओं एवं कार्यरत्त योजनाओं में भुगतान हेतु लगभग 8,80,000.00 रूपये की आवश्यकता है। विस्तृत प्रतिवेदन परिशिष्ट "क" पर द्रष्टव्य।

।17। इंदिरा आवास योजना :

इस प्रखण्ड में इंदिरा आवास मद में वर्ष 2000-2001 में कुल ली गई है तथा इसमें आवंटन उपलब्ध है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में राशि की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य।

।18। कच्चे आवासों का अपग्रेडेशन :

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इस योजना के अन्तर्गत 120 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु 16,58,000.00 रूपये का आवंटन इस प्रखण्ड को उपलब्ध कराया गया है। प्रखण्ड को 74 सुयोग्य लाभान्वितों की सूची अनुमोदनोपरान्त प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम अग्रिम का

लगातार-15

भुगतान किया गया है। प्रखण्ड द्वारा कुल 90 लाभान्वितों का चयन कर सूची अनुमोदन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय को भेजा गया है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य।

(19) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :

इस योजना के तहत अबतक 18 समूह का गठन करते हुए बैंक में खाता खोल दिया गया है तथा राशि भी जमा कर दी गई है। विभिन्न बैंकों में आम सभा के माध्यम से कुल 115 स्वरोजगारियों का चयन कर लिया गया है एवं तत्सम्बन्धी आवेदन पत्रों को भी सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य।

(20) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :

इस योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान में 4,10,000.00 रुपये अवशेष है। कुल 17 लाभान्वितों का अभिलेख स्वीकृति हेतु सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को भेजा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि स्वीकृति अप्राप्त है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, धनबाद इसे दो दिनों के अन्दर स्वीकृत कर प्रखण्ड को अग्रतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दें।

(21) मातृत्व लाभ योजना :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस मद में कुल प्राप्त राशि 3,00,600.00 के विरुद्ध 3,00,500.00 रुपये 601 लाभान्वितों के बीच वितरित किया जा चुका है। अवशेष राशि के रूप में मात्र 100.00 रु0 पड़ा हुआ है।

(22) पेंशन :

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मार्च, 2000 तक पेंशन का वितरण कर दिया गया है। इस मद में राशि अवशेष बची हुई है। अवशेष राशि के वितरण हेतु पत्र के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(23) लोकसभा/विधान सभा प्रश्न :

लोक सभा एवं विधान सभा के लम्बित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रखण्ड में कोई मामला लम्बित नहीं है।

लगातार-16

1241 उच्च न्यायालय के मामले :

इस प्रखण्ड में उच्च न्यायालय के मामले लम्बित रहने के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कोई मामला लम्बित नहीं है ।

1251 बालिका समृद्धि योजना :

इस मद में 1.4.2000 तक 55,500.00 अवशेष था । वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इस प्रखण्ड को कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । उपलब्ध राशि 55,500.00 में से 54,500.00 रूपये का वितरण 109 लाभान्वितों के बीच किया गया है । अवशेष राशि के रूप में मात्र 1000 रू० प्रखण्ड में पड़ी हुई है ।

126। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 1.4.2000 तक कुल 13 योजनाएँ लम्बित थी जिसमें से 5 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है । आवंटन के अभाव में 8 योजनाएँ लम्बित पड़ी हुई है ।

1271छात्रवृत्ति पंजी :

इस प्रखण्ड में वर्ग-1 से 6 तक तथा वर्ग-7 से वर्ग 10 तक छात्रवृत्ति पंजी संधारित है । वित्तीय सत्र वर्ष 1999 की भुगतान की कार्रवाई चल रही है । वर्ष 2000 में राशि प्राप्त नहीं है । वर्ग-1 से वर्ग-6 के भुगतान पंजी के पृष्ठ संख्या-12 के क्रमांक-119 एवं 120 पर श्री सुरेन्द्र कुमार सरावगी एवं श्री नरेश कुमार सरावगी का हस्ताक्षर एक जैसा लगता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसकी जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

128। अवकाश पंजी :

इस प्रखण्ड में अवकाश पंजी विहित प्रपत्र में संधारित हैं ।

129। उपस्थिति पंजी :

इस प्रखण्ड में उपस्थिति पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । उपस्थिति पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि फरवरी 2000 में श्री प्रकाश चन्द्र सहायक के हस्ताक्षरित स्तम्भ में दिनांक 25 एवं 26 को, श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, सहायक के हस्ताक्षर स्तम्भ में दिनांक 24, 25 एवं 26 को कुछ भी अंकित नहीं है इसका क्या अर्थ है । इसी तरह गोवर्धन मांझी, पंचायत सेवक के हस्ताक्षर स्तम्भ में दिनांक 29 को कुछ भी अंकित नहीं है । इतना ही नहीं श्री विष्णु दास, चालक

लगातार-17

द्वारा दिनांक 31 के स्तम्भ में ही हस्ताक्षर अंकित किया गया है जबकि वर्ष, 2000 में फरवरी मांह 29 दिनों का है । इसका अनुसरण कईएक कर्मचारियों द्वारा किया गया है । स्पष्टतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजी को नियमित रूप से जांच नहीं किये जाने के कारण इसतरह की स्थिति उत्पन्न हुई है । इस तरह की स्थिति प्रायः तभी मांह में पाये गये । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में उपस्थिति पंजी पर नियंत्रण रखते हुए नियमित रूप से जांच कर आवश्यक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे ।

1330 वेतन भुगतान पंजी :

प्रखण्ड में वेतन भुगतान पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है ।

1311 भंडार पंजी :

प्रखण्ड में भंडार पंजी संधारित नहीं है । बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अन्तर्गत भंडार पंजी विहित प्रपत्र में संधारित होना चाहिए । भंडार पंजी का अर्थ यह है कि प्रखण्ड के सभी सामग्री/उपस्कर यथा-पंखा, टेबुल, कुर्सी इत्यादि का उल्लेख पंजी में अंकित करना है ।

1321 मासी पुस्तिका निर्गत पंजी :

इस प्रखण्ड में योजनाओं के लिए निर्गत किये गये मासी पुस्तिका सम्बन्धी एक पंजी संधारित है जिसमें निर्गत किये गये मासी पुस्तिका का लेखा-जोखा अंकित किया गया है ।

1321 वाहन का लाग बुक :

प्रखण्ड में उपयोग किये जा रहे वाहन का लॉग बुक संधारित है किन्तु विधिवत रूप से संधारित नहीं है । वस्तुतः मांह के अन्त में तय की गई दूरी एवं आपूर्त्ति किये गये ईन्धन से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वाहन का औसत प्रति लीटर क्या है एवं इससे सम्बन्धित अन्य सूचनाएं भी अंकित होना चाहिए । वाहन के लॉग बुक के अवलोकन से पता चलता है कि इस तरह की प्रविष्टि मांह के अन्त में नहीं किया गया है । मात्र भ्रमण किये गये दूरी, आपूर्त्ति किये गये ईन्धन एवं यात्रा का प्रयोजन ही अंकित किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि मांह के अन्त में इस तरह की प्रविष्टि निश्चित तौर पर किया करें ।

लगातार-18

133। वाहन का इतिहास पुस्तिका :

प्रखण्ड में उपयोग में लाये जा रहे वाहन का इतिहास पुस्तिका संधारित नहीं है। जबकि यह संधारित रहना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना चाहिए कि वाहन प्रखण्ड में कब आयी, कब-कब इसकी मरम्मति की गई, कब-कब इसमें नई बैटरी क्रय कर लगाई गई, कब-कब नया टायर क्रय किया गया इत्यादि। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसका संधारण उपलब्ध अभिलेख/कागजात के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

134। अंकेक्षण :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 1998 में इस प्रखण्ड का अंकेक्षण हुआ था जिसका अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया गया है। पुनः इस प्रखण्ड का अंकेक्षण जून, 2000 में हुआ है। परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रखण्ड को अप्राप्त है। इस हेतु महालेखाकार को पत्र लिखा जाय।

135। रोकड़ बही :

इस प्रखण्ड में सामान्य रोकड़ बही दिनांक 15.5.96 से प्रारम्भ की गई है, जो अभी भी चल रहा है। यह विधिवत फारम-528, अनुसूची-14 में बिहार वित्त नियमावली के नियम के अनुरूप संधारित है। रोकड़ बही का रख-रखाव ठीक नहीं है। उपर का कभर फटा हुआ पाया गया। इस तरह की स्थिति कुछ अनुपूरक रोकड़ बही का भी पाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सामान्य रोकड़ बही एवं अनुपूरक रोकड़ बही जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है का बाइंडिंग कराकर सभी का नम्बरिंग किया जाय ताकि अनुश्रवण में कठिनाई न हो। इन रोकड़ बहियों के लेबेल पर स्केच पेन से विषय अंकित किया जाय।

रोकड़ बहियों के अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि 2505-जे0आर0वाई0 के अनुपूरक रोकड़ बही में सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि अंकित की गई है। जबकि इस अनुपूरक रोकड़ बही में इसे अंकित नहीं किया जाना है अपितु सुनिश्चित रोजगार योजना का अलग अनुपूरक रोकड़ बही संधारित होना चाहिए। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सुनिश्चित रोजगार योजना का अलग रोकड़ बही है। चूंकि यह परिपाटी पूर्व से ही चल रहा है, इसलिए इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सुनिश्चित रोजगार योजना का अनुपूरक रोकड़ बही स्वतन्त्र रूप से अलग किया जाय तथा उसमें राशि अंकित किया जाय। यह कार्य तीन दिनों के अन्दर सम्पन्न करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाय।

अवलोकन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि शीर्ष-2230 श्रम एवं नियोजन के अनुपूरक रोकड़ बही में 15,780.29 रू0 अंकित है जबकि निरीक्षण

लगातार-19

हेतु उपलब्ध कराये गये टिप्पणी के क्रमांक-18 पर शीर्ष 2230 श्रम एवं नियोजन के स्तम्भ के सामने 15,571.29 रू० अंकित किया गया है । इतना ही नहीं, टिप्पणी के क्रमांक-22 पर बहुमालन का शीर्ष-2245 दर्शाया गया है जबकि यह शीर्ष राहत का है । बहुमालन का शीर्ष-2405 होता है । इन दोनों मामलों में ग्रामीण विकास अधिकारी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

रोकड़ बही के अवलोकन से यह पाया गया कि कुल 27 मदों में राशि रखी गई है जिसका ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अद्यतन राशि
1.	2515-सामान्य (ख)	39,835.59
2.	2515-पंचायत (क)	16,923.24
3.	आई०आर०डी०पी०	1,07,788.28
4.	2505-जे०आर०वाई-योजना	57,75,122.35
5.	2505-जे०आर०वाई-वेतन	5,754.00
6.	2225-कल्याण	8,31,974.04
7.	2235-वृद्धा पेंशन	4,65,827.16
8.	2401-कृषि	17,013.00
9.	2053-जिला प्रशासन	00.86
10.	2230-श्रम एवं नियोजन	15,571.29
11.	2053-जिला योजना	32,000.36
12.	8445-पंचायत सेवक	20.20
13.	2202-शिक्षा	20,469.00
14.	2015-निर्वाचन	7,372.17
15.	लघु सिंचाई	500.00
16.	049-ब्याज विविध	7,73,929.13

लगातार-20

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अद्यतन राशि
17.	विविध परियोजना	18,943.00
18.	425-अल्प कालीन ऋण	5,820.23
19.	2225-का0 गु0 नि0	10,374.00
20.	प्रा0 औ0	1,187.00
21.	जि0ब0निधि	9,970.00
22.	2405-पशुपालन	625.60
23.	2236-बीमा हार	4,47,556.24
24.	2071-पेंशन	26,350.00
25.	जनगणना	8,642.00
26.	8005-प्र0नि0	शून्य
27.	सिमेन्ट प्राप्ति	6,25,410.00
	योग:-	92,64,079.34

रोकड़ बही के अनुसार राशि की स्थिति निम्नप्रकार पाई गई :-

1. बैंक में जमा राशि :-	60,16,933.09
2. अभिग्रह के रूप में :-	15,43,116.46
3. अग्रिम के रूप में :-	17,04,008.57
4. सिंगल लॉक में :-	21.22
योग:-	92,64,079.34

लगातार-21

रोकड़ बही के अवलोकन से पता चलता है कि शीर्ष 8445-पं०ले० में 20.50 रू0, 2202-शिक्षा में 20,469.00, 2015-निर्वाचन में 7,372.17रू0, लघु सिंचाई में 500.00 रू0, 049-ब्याज विविध में 7,73,929.13 रू0, विद्युत परियोजन में 18,943.00, अल्प कालीन ऋण में 5,820.23 रू0, 2225 का0गु0नि0 में 10,374.00 रू0, ग्रा0 आ0 में 1,187.00, जि0प0निधि में 9,970.00 रू0 2405-पशुपालन में 625.60 रू0, 2236-पोषाहार में 4,47,556.24 रू0 सन्निहित है।

उपरोक्त सभी मद के अभिलेख एवं कागजातों की छानबीन कर यह पता कर लिया जाय कि उसमें कोई कार्य तो नहीं चल रहा है। अगर इस राशि की आवश्यकता नहीं है तो कोषागार चालान के माध्यम से उसे जमा करने की अग्रतर कार्रवाई की जाय। इस हर समय संधारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2071-पेंशन मद में 26,350.00 रू0 उपलब्ध है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को औपबंधिक पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी की ओर से महालेखाकार को पत्र लिखा जाय ताकि उनका पेंशन बुक प्राप्त हो जाय।

सीमेन्ट प्राप्ति में 6,25,410.00 रू0 दिखाई दे रहा है। यह कैसे प्राप्त हुआ है और किस रूप में प्राप्त हुआ है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस सम्बन्ध में छानबीन कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि 2236-पोषाहार मद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की राशि को भी उसके साथ सन्निहित किया गया है जो युक्तिसंगत नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे कि क्यों नहीं सरकार को प्रतिवेदित किया जाय।

निरीक्षण के क्रम में यह भी देखा गया कि किसी अनुपूरक रोकड़ बही में बहुत पहले से ट्रान्जैक्शन बन्द है और पन्ने उलटने के बाद राशि की जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में अन्तशेष पन्ने अन्त में अंकित करना चाहिए। प्रखण्ड नाजिर इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। इसका अनुपालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निश्चित तौर पर करायेंगे।

13। बैंक खाता का सत्यापन :

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न बैंकों में रखी गई राशि का बैंकवार दिनांक 31.7.2000 तक-स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	कोपरेटिव बैंक, गोविन्दपुर	2366/16	50.00

लगातार-22

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
2.	कोआपरेटिव बैंक, गोबिन्दपुर	2365/16	11,965.83
3.	- वही -	2368/16	50.00
4.	- वही -	1815/11	782.77
5.	- वही -	2367/16	10,001.00
6.	- वही -	2061/13	1,236.00
7.	इलाहाबाद बैंक, गोबिन्दपुर	5503	8,71,395.06
8.	केनरा बैंक, गोबिन्दपुर	8285	24,01,875.00
9.	बैंक आफ इंडिया, काण्ड्रा	3014	17,52,949.73
10.	बैंक आफ इंडिया, आमाघाटा	1817	1,390.00
11.	बैंक आफ इंडिया, आमाघाटा	1535	9,80,926.80
12.	बैंक आफ इंडिया, बरवाड्डा	5703	2,60,942.00
13.	इलाहाबाद बैंक, टुंडियारो	3065	43,841.00
14.	इलाहाबाद बैंक, टुंडियारो	1484	38,459.25
15.	इलाहाबाद बैंक, तिलैया	318	7,90,787.00
16.	भारतीय स्टेट बैंक, देवली	एजी0एल0/3	9,402.00
17.	केनरा बैंक, बरवा ईस्ट	5874	7,331.00
18.	इलाहाबाद बैंक, हिरापुर	6145	200.00
		कुल:-	71,83,585.09

उपरोक्त तालिका के देखने से स्पष्ट होता है कि इस बैंक में 18 बैंक खाता है जो 11 बैंको का है।

लगातार-23

निरीक्षण के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि विभिन्न मदों में प्राप्त राशि को विभिन्न बैंकों के एक ही खाते में रखा जा रहा है । जबकि एक-एक मद का अलग-अलग पास बुक खोलना चाहिए । इतना ही नहीं लूट की राशि का भी अलग से पासबुक संधारित रखना चाहिए तथा लूट की राशि के संबंध में सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अवश्य दी जाय ताकि उक्त राशि से अलग योजना का चयन कर उसका क्रियान्वयन कराया जा सके । ऐसा करने से बैंक में रखी गई राशि का सही ढंग से अनुश्रवण हो सकता है । इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोआपरेटिव बैंक में 6 बैंक खाता खोला गया है, जो अनावश्यक है । तालिका अवलोकन के क्रम में यह भी देखा गया कि कोआपरेटिव बैंक, गोविन्दपुर के खाता संख्या-2366/16 में 50.00 रु0, खाता संख्या-2368/16 में 50.00 रु0, खाता संख्या-1815/11 में 782.77 रु0 एवं इलाहाबाद बैंक, हिरापुर के खाता संख्या-6145 में 200 रु0 की राशि पड़ी हुई है । जब इस खाता का संचालन नहीं हो रहा है तो इसे रखने का कोई औचित्य नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कम राशि वाले खाता को बन्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

सत्यापन सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये बैंक सत्यापन प्रति से पता चलता है कि भारतीय स्टेट बैंक, देवली एवं इलाहाबाद बैंक, हीरापुर को छोड़कर सभी बैंकों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध है तथा उपरोक्त तालिका में जो राशि दर्शायी गई है, वह सही है । इतना ही नहीं भारतीय स्टेट बैंक, देवली का खाता संख्या-एस0एस0/3 का पास बुक प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि पास बुक बैंक तथा कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बैंक से सम्पर्क कर डुप्लीकेट पास बुक प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा भारतीय स्टेट बैंक, देवली तथा इलाहाबाद बैंक, हिरापुर से बैंक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे ।

13.1 अग्रिम पंजी :

निरीक्षण के दौरान अग्रिम पंजी के अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि अग्रिम के रूप में 17,04,008.57 रु0 पड़ी हुई है जिसकी वसूली हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित रूप से कार्रवाई नहीं की गई है । यह बहुत ही गम्भीर का विषय है । इसकी एक सूची बनाई है जिसके अनुसार कुल 199 व्यक्तियों से 17,04,008.57 रु0 की वसूली की जानी है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक विशिष्ट प्रपत्र में एक लम्बे अर्से से चले आ रहे बड़ी अग्रिम की राशि को अवरोही क्रम में तैयार की जाय तथा सारी प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद उनसे वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । इसके बाद कोई प्रतिफल नजर नहीं आता है तो नीलाम पत्र कार्रवाई हेतु रास्ता अपनाया जाय और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय । इसके अलावे यह देखना सुनिश्चित करें कि उन्हें अग्रिम कब दी गई तथा संचिका में उपलब्ध कागजात से यह पता कर लिया जाय कि अग्रिम देने का आधार क्या था । इन सारे तथ्यों का निष्कर्ष निकालने के बाद अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक अभियान के तौर

लगातार-24

पर वसूली की कार्रवाई एक महीने के अन्दर सम्पन्न करना सुनिश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में जिला स्तर से किसी पदाधिकारी की आवश्यकता हो तो अनुरोध किया जा सकता है । सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो राशि वसूली हेतु लम्बित है तथा जिनका स्थानान्तरण इस प्रखण्ड से अन्यत्र हो गया है, उसकी एक सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाय ताकि मासिक बैठक में सम्बन्धित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इसकी वसूली हेतु सभी आवश्यक निदेश दिया जा सके । इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित करें कि उनके वेतन की निकासी नहीं की जाय तथा अग्रिम की वसूली हेतु आवश्यक उठाये जाय ।

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने यह भी बताया कि पूर्व के नाजिर श्री कुमार मराण्डी सम्प्रति सहायक, जिला गोपनीय शाखा में पदस्थापित,के समय में दिये गये अग्रिम का सामंजन नहीं किया गया है तथा प्रभार भी नहीं दिया गया है । श्री कुमार मराण्डी को आदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे । अगर इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो निलम्बित करने की कार्रवाई की जायगी। जिला लेखा पदा0, धनबाद/लेखा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं कार्यालय अधीक्षक श्री तरुण कुमार सिन्हा इस सम्बन्ध में विशेषरूप से छानबीन कर इसका निष्कर्ष निकालना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी देख लेंगे कि इसमें कोई गबन का मामला बनता या नहीं है । यह कार्य एक सप्ताह के अन्दर सम्पन्न कर अधोहस्ताक्षरी को फलाफल से अवगत करायेंगे ।

13। अभिश्रव :

इस प्रखण्ड में अभिश्रव के रूप में 15,43,116.46 रु0 की राशि सन्निहित है जिसका सामंजन नहीं हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि श्री कुमार मराण्डी, सहायक, सम्प्रति जिला गोपनीय शाखा द्वारा 12 लाख रुपये का अभिश्रव सम्बन्धी कागजात/संचिका का प्रभार नहीं दिया गया है । फलतः यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस-किस मद का है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर सभी अभिश्रव को वर्षवार, मदवार वर्गीकरण कर सूची तैयार कर लें । जो समायोजन के लायक है उसे समायोजित कर लें । अवशेष के सामंजन हेतु आवंटन के लिए पत्र के द्वारा अनुरोध करें । अभिश्रव में इतनी राशि सामंजन हेतु जिले में कहीं नहीं है और यह अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी है, जिससे गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए इसकी विशेष जांच की आवश्यकता महसूस की जाती है । इस हेतु जिला लेखा पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद एवं कार्यालय अधीक्षक, धनबाद इस प्रखण्ड में इसकी गहन छानबीन कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे । साथ ही दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा भी करेंगे । श्री कुमार मराण्डी, सहायक, सम्प्रति जिला गोपनीय शाखा को इसका प्रभार सौंपने हेतु गोबिन्दपुर प्रखण्ड में 15 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री मराण्डी की उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिदिन

लगातार-25

बेतार संवाद के माध्यम से सूचित करेंगे । श्री मराण्डी प्रखण्ड कार्यालय में 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 6 बजे अपराह्न तक प्रभार देने का कार्य में लगे रहेंगे ।

(39) स्थलीय निरीक्षण :

(क) गोविन्दपुर प्रखण्ड कार्यालय में एक नर्सरी का स्थलीय निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण के क्रम में यह मालूम हुआ है कि इस नर्सरी के चहारदिवारी के लिए 8,00,000.00 रुपये के प्राक्कलन की स्वीकृति सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना में 6,00,000.00 रुपये का अग्रिम का भुगतान किया गया है परन्तु योजना अभी भी अधूरी पड़ी हुई है । इस नर्सरी में नींबू, अमरूद के पेड़ लगे हुए पाये गये । परन्तु इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस सम्बन्ध में 24 घन्टे के अन्दर विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । जिला उद्यान पदाधिकारी भी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(ख) जी0टी0रोड से भितिया ग्राम तक पथ निर्माण योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया । इस पथ में 2855 फीट में ग्रेड-I एवं ग्रेड-II का कार्य करते हुए कालीकरण का कार्य किया गया है तथा 1950 फीट में पी0सी0सी0 का कार्य किया गया है । यह योजना पूर्ण है । परन्तु पथ के फ्लैंक में जहाँ-तहाँ कुछ भाग में मिट्टी भराई की कमी पाई गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । इस योजना की प्राक्कलित राशि 9,86,100.00 रु0 है तथा यह योजना सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ली गई है ।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कल्याणपुर स्कूल से महतो टोला तक ग्रामीण पथ के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया गया । इस योजना की प्राक्कलित राशि 4,25,000.00 रु0 है तथा 1300 फीट की है । इस पथ में पी0सी0सी0 का कार्य किया गया है । योजना पूर्ण है ।

(घ) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत साधोबाद बरवाडीह में सामुदायिक भवन निर्माण की योजना का स्थलीय निरीक्षण किया । निरीक्षण के समय इसमें प्लास्टरिंग का कार्य चल रहा था । यह योजना दिनांक 16.6.2000 से प्रारम्भ की गई है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 1,50,000.00 रु0 है ।

(च) सांसद निधि से नवनिर्मित पुटियारो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया । इसमें दो कमरे हैं तथा पूरी तरह पूर्ण है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 1,50,000.00 रु0 है ।

(छ) पावापुर एवं जमुर में कलस्टर में निर्माण हो रहे बुनियादी इंदिरा आवास योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के

एक लाभान्वित से योजना में दी गई राशि एवं सामग्री के सम्बन्ध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण में 3000/- रु० नगद राशि एवं 6 बोरा सीमेन्ट, दूसरे चरण में 4000/- रु० नगद एवं 12 बोरा सीमेन्ट, तीसरे चरण में 5000/- रु० नगद एवं 17 बोरा सीमेन्ट तथा चौथे चरण में 1000/- रु० नगद एवं 6 बोरा सीमेन्ट दिया गया है। योजना अभी पूर्ण नहीं है तथा योजना में कार्य चल रहा है।

14। अंचल द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी :

।क। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

अंचल अधिकारी ने बताया कि 31.3.2000 को 3 योजनाएं लम्बित थी। इस वित्तीय वर्ष में कोई योजना नहीं ली गई है। इसमें एक योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। इस मद में 13,44,505.00 रुपये अवशेष बचे हुए हैं।

।ख। जलधारा योजना :

अंचल अधिकारी ने बताया कि इस मद में गीनू महतो की 6 योजनाएं, चेकडैम की एक योजना एवं नाला निर्माण की तीन योजनाएं कुल 10 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 वृक्ष निर्माण की योजना भी ली गई है। अंचल अधिकारी ने बताया कि इस मद में राशि की आवश्यकता है।

।ग। विधायक मद की योजना :-

अंचल अधिकारी ने विधायक मद कोई योजना इस अंचल में क्रियान्वयन हेतु लम्बित नहीं है।

।घ। बुनियादी इंदिरा आवास :

अंचल अधिकारी ने बताया कि दिनांक 31.3.2000 तक कुल 822 योजनाएं लम्बित थी जिसमें से 182 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा शेष 640 योजनाओं में कार्य चल रहा है। इसमें से 40 में लिंटल स्तर तक, 510 छत स्तर तक एवं 90 में ढलाई स्तर तक कार्य पूर्ण हो गया है। इस मद में कुल 34,83,221.40 रु० की राशि उपलब्ध है।

14.1 सामान्य :

इस प्रखण्ड का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं है । मुख्यतः स्थायी अग्रिम एवं अभिग्रह की राशि की छानबीन कर समायोजित करने की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है । अगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित ढंग से समबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से प्रयास करें तो इसमें काफी हद तक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है ।

उपायुक्त, धनबाद ।

ज्ञापांक- 3825 /गो0, ध न बा द, दिनांक- 17/8/2000

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद/स्थायी उप समाहर्त्ता, धनबाद/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

17.8.2000

उपायुक्त, धनबाद।

परिशिष्ट- "क"

सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत क्रियान्वित योजनाओं का प्रतिवेदन

दिनांक-9.8.2000 तक

1.4.2000 को लम्बित योजना की संख्या	2000-2001 में ली गई योजना की संख्या	कुल योजना की संख्या	गत माह तक पूर्ण योजना की संख्या	चालू माह में पूर्ण योजना की संख्या	स्थगित योजना की संख्या	कुल लम्बित योजना की संख्या	1.4.2000 को अवशेष राशि	2000-2001 में प्राप्त आवंटन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	—	8	4	—	—	4	—	30,00,000.00

कुल आवंटन	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि
30,00,000.00	21,15,700.00	2,90,000.00	24,05,700.00	5,94,300.00

परिशिष्ट- "ब"

इंदिरा आवास योजना के तहत क्रियान्वित योजनाओं का प्रतिवेदन

दिनांक-9.8.2000 तक

1.4.2000 को लम्बित योजना की संख्या	2000-2001 में ली गई योजना की सं0	कुल योजनाओं की संख्या	गत माह तक पूर्ण योजनाओं की सं0	चालू माह तक पूर्ण योजनाओं की सं0	कुल पूर्ण योजनाओं की सं0	स्थगित योजना की संख्या	कुल लम्बित योजना की सं0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
शून्य	142	142	—	—	—	—	142

1.4.2000 को अवशेष राशि	2000-2001 में प्राप्त आवंटन	कुल आवंटन	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि
9.	10.	11.	12.	12.	13.	14.
15,53,143.00	28,50,000.00	44,03,143.00	6,01,176.00	2,39,080.00	8,40,256.00	35,62,887.00

प रि शि ष्ट - "ग"

अग्रोहन योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्रतिवेदन

दिनांक-9.8.2000

1.4.2000 को लम्बित योजनाओं की संख्या	2000-2001 में ली गई योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	गत माह तक पूर्ण योजनाओं की सं0	चालू माह में पूर्ण योजनाओं की सं0	कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या	स्थगित योजना की संख्या	कुल लम्बित योजना की सं0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
शून्य	74	74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	74

1.4.2000 को अवशेष राशि	2000-2001 में प्राप्त आवंटन.	कुल आवंटन	गत माह तक व्यय	चालू माह तक व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7,50,000.00	9,08,000.00	16,58,000.00	1,48,000.00	—	1,48,000.00	15,10,000.00

परिशिष्ट- "घ"

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगारियों की समूह की सूची

क्रम	बैंक का नाम	समूह का प्रकार	स्थान	खाता संख्या	जमा राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	इलाहाबाद बैंक तिलैया	1. आर्केस्ट्रा 2. पत्ता प्लेट 3. ट्रेक्टर	1. मनईडीह 2. काकरघुटी 3. पंजनीया	1. 1342/5 2. 1573/6 3. 1574/4	1. 3500/- 2. 500/- 3. 500/-
2.	इलाहाबाद बैंक, चुटियारो	1. ट्रेक्टर 2. सिंचाई कूप 3. डेकोरेटर	1. आमटांड़ 2. साधोबाद 3. साधोबाद	1. 3989/18 2. 3996/18 3. 4001/18	1. 300/- 2. 500/- 3. 300/-
3.	इलाहाबाद बैंक, गोविन्दपुर	1. मुर्गीपालन 2. सुअर पालन	1. घुरिया 2. पतरींग	1. 9150 2. 9149	1. 500/- 2. 220/-
4.	बैंक ऑफ इंडिया, बरवाअड्डा	--	--	--	--
5.	बैंक ऑफ इंडिया, आमाघाटा	1. टेन्ट्रींग 2. मुर्गीपालन	1. तिवाटाड़ा 2. गायडहरा	1. 2818 2. 2942	1. 8000/- 2. 500/-
6.	बैंक ऑफ इंडिया, कान्ड्रा	1. बांसवेत 2. कुम्हार गिरि 3. मुर्गीपालन	1. गम्हरियाटांड़ 2. रोतरा 3. पुनराबडीह	1. 3946 2. 3947 3. 3948	1. 950/- 2. 800/- 3. 1000/-

लगातार-2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1)	कनारा बैंक, गोविन्दपुर	1. ट्रेक्टर	1. बस्तीपुर	1. 10814	1. 8000/-
2)	कनारा बैंक, बरवा ईस्ट	--	---	--	--
3)	भारतीय स्टेट बैंक, देवली	1. ट्रेक्टर 2. मुर्गीपालन	1. दुमदुमी 2. जंगलपुर	1. 09 2. 10	1. 1000/- 2. 1000/-
4)	भारतीय स्टेट बैंक, दामकाड़ा	1. ट्रेक्टर 2. मुर्गीपालन	1. मयूरनाचना 2. वीरगांव	1. 25291 2. 25294	1. 500/- 2. 250/-